

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 100.../जैसल/2009-2010...

यह प्रमाणित किया जाता है कि युवा जागृति-
संस्थान शीम (जैसलमेर) जिला जैसलमेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक... सप्ताह... माह... अक्टूबर... सन् दो हजार... को
जैसलमेर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर

पंजीयन क्रमांक 1733/18
दिनांक 26.03.2018
डिस्पेच नं. 518
दिनांक 26.03.2018

राजस्थान सरकार
प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री पुवा जागृति संस्थान, शोम (जैसलमेर)
ग्राम शोम पोस्ट नर सिंह की दाणी
तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूँकि श्री जसवंत राम (अदपड़ा) न्यासी (द्रस्टी)
गौशाला श्री पुवा जागृति संस्थान, शोम (जैसलमेर) राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक 26.03.18 माह मार्च वर्ष दो हजार अठारह



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर